

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)
समस्तीपुर


कार्यालय आदेश सं०:-390/2020/NG/S&T/समस्तीपुर

संकेत एवं दूरसंचार विभाग के अधीन निम्न अभ्यर्थी अनुकंपा के आधार पर इस कार्यालय के पत्रांक- का/239/तृ०श्रे०/अनु०/गो०/18/पार्ट-II दिनांक 08.08.2019 के द्वारा प्रशिक्षु JE(Sig.), Pay level-06 के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित हुये। अभ्यर्थी नियुक्ति पूर्व प्रशिक्षण में इरिसेट/सिकंदराबाद के पत्रांक- इरिसेट/रिजल्ट/III दिनांक 22.04.2020 द्वारा प्रारंभिक प्रशिक्षण Phase-I एवं Phase-II एवं ससिदूई/नरकटियागंज के पत्रांक-N/E/1/NKE/Pl.-V दिनांक 09.08.2020 द्वारा लाईन प्रशिक्षण उत्तीर्ण है, को JE(Sig.), Pay level-06 के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त करते हुये उनके नाम के सामने अंकित स्टेशन पर संबंधित पर्यवेक्षक के अधीन पदस्थापित किया जाता है।

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम, पिता का नाम एवं समुदाय	पदनाम/ पे लेवल	पदस्थापित कार्यस्थल	जन्म तिथि	प्रथम चिकित्सा विवरण	प्रशिक्षण अवधि की गणना करते हुये वेतन निर्धारण	
						वेतन	वे०वृ०तिथि
1	श्री पवन कुमार स्व० चन्द्रेश्वर राय ओ०बी०सी०	JE(Sig.) P: level-06	Supoul under SSE(Sig.)SHC	05-02-92	No. 029243 dt. 03-16-18 by Sr. DMO/Sr. Fit in A-one & below without glass	35400/- 36300/-	10-08-19 01-07-20

इनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबंधिक है। नियुक्ति के संबंध में वे सभी शर्तें लागू होंगी जो एक अस्थाई तृतीय श्रेणी के कर्मचारी के प्रथम नियुक्ति के समय लागू होती है। इन्हें नियमानुसार प्रादेशिक सेना में 03 वर्ष व प्रादेशिक सेवा के इंजीनियरिंग इकाई में 12 वर्ष तक या उससे अधिक अवधि जो आवश्यकतानुसार निर्धारित की जायेगी, सैन्य सेवा करनी होगी। चरित्र सत्यापन के दौरान Adverse Police Verification रिपोर्ट प्राप्त होने, शैक्षणिक व अन्य प्रमाण पत्रों की जाँच में त्रुटि पाये जाने एवं माता-पिता, पति-पत्नी/बच्चों जैसा भी मामला हो, परिवार के सदस्य की देख-रेख नहीं किये जाने पर सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

कर्मचारी दिनांक 01.01.2004 से प्रभावी नई पेंशन योजना से सशसित होंगे। रेल परिषद के प्रावधान अनुसार नियुक्ति पूर्व प्रशिक्षण उपरांत पदस्थापना हेतु प्रतिक्षारत् अवधि को प्रशिक्षण का विस्तार मानते हुये नियमानुसार वृत्तिका देय होगा। पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतन एवं भत्ता देय होगा।



(रतन राकेश लकड़ा)
मंडल कार्मिक अधिकारी
कृते मरेप्र(का०)समस्तीपुर

दिनांक 19.08.2020

संख्या:- का/227/संकेत & दूरसंचार/समस्तीपुर/IV/प्रशिक्षु/07

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- वर्मासिदूई/समस्तीपुर
- वर्मविप्र/समस्तीपुर
- सीसेई(सिग०)सहरसा
- बिल लिपिक (S&T)/समस्तीपुर- इस कार्यालय में रिपोर्ट की तिथि 12.08.2020 से कार्यालय आदेश जारी होने की तिथि तक वृत्तिका देय होगा।
- मंडल मंत्री/इसीआरकेयू, अजा-अजजा एवं ओबीसी एशो०/सम० मंडल
- संबंधित कर्मचारी
- अभिलेख हेतु

कृते मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)
समस्तीपुर